न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड/एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०, बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–1577/2026

मु०अ०सं०–69/2004

सरकार–––––बनाम––––– कल्लू उर्फ रामसागर।

धारा–3/25 ए एक्ट।

थाना–खैरीघाट, जनपद बहराइच।

दिनांक 06–04–2026

अभियुक्त कल्लू उर्फ रामसागर के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में जमानत पर था, परन्तु अभियुक्त अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त जरिये गैर जमानती अधिपत्र गिरफ्तार होकर दिनांक 17–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। पत्रावली में आरोप–पत्र दाखिल है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्था सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० के निर्देशों के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थना–पत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त कल्लू उर्फ रामसागर द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त द्वारा मु०–20,000/–रू० (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा किया जाता है।

(बुशरा नूर)
सिविल जज (प्रवर खण्ड)/
एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०,
बहराइच।
J.O. Code– U.P. 3331